

ॐ 6/17 पत्रावली डाक समूह लोक अदालत मंगल आपने घर
2017 कैम्प सिद्धि मरु पा कलुल हरी कबीर

~~कमलेश्वर परिवार की एक बहन का सम्मान के अनुपस्थिति है। कबीर का
97826/4554 मरी काने का अधिकार शीवा विद्यालय है।
3853 विजय काम से सि (काम) मरु/ पत्रावली फलप पुस्तक है।
मरुत से काम है।~~

उपरोक्त अधिकारी
शीलवाड़ा

1. कैलाश पिता रामचन्द्र मीणा, निवासी खेमा का खंडा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा हात मुकाम 750, पुलिस लाईन के पीछे, भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मीनारायण मीणा, निवासी विवेकानन्दनगर, भीलवाडा।
2. रतनलाल पिता सोहन लाल ब्राह्मण, निवासी गोकलपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्यामसुन्दर पिता सोहन लाल ब्राह्मण, निवासी गोकलपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 02.06.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 24.11.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिदडियास, पटवार हल्का सिदडियास, भू-अभिलेख क्षेत्र, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 1882 रकबा 03-08 बीघा, आराजी संख्या 1895 रकबा 03-05 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 06-13 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सिदडियास, पटवार हल्का सिदडियास, भू-अभिलेख क्षेत्र, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1882 रकबा 03-08 बीघा, आराजी संख्या 1895 रकबा 03-05 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 06-13 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 700/- अक्षरे सात सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 02.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पटवार सहायक कलक्टर
पटवार सहायक कलक्टर, भीलवाडा